



बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय



पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार

ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की योजना

“समेकित मुर्गी विकास योजना” के तहत 3000 क्षमता के “ब्रायलर पोल्ट्री फार्म” के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में लक्ष्य के विरुद्ध रिक्त रह गये ब्रायलर फार्म हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु पुनर्विज्ञापन

इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक युवक/युवती/किसान/मुर्गी पालक विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त 21 दिनों तक विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html> पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या से ऑनलाईन पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन हेतू वांछित कागजात

वांछित भूमि का साक्ष्य :	अद्यतन लगान रसीद / एल.पी.सी., लीज एकरारनामा, नजरी नक्शा
वांछित राशि का साक्ष्य :	पासबुक, एफ.डी., अन्य (प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि अंकित हो)
प्रशिक्षण :	सरकारी संस्थानों से 5 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु :	जाति प्रमाण-पत्र
अन्य कागजात:	फोटो, आधार, वोटर आई.डी., पैन कार्ड, आवास प्रमाण-पत्र

प्राथमिकताएँ

लाभुकों का चयन क्रमशः स्वलागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुये “**पहले आओ, पहले पाओ**” के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

ऋण/स्वलागत

आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से फार्म स्थापित कर सकते है। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी।



PR No - 013137 (Animal)ID- 2020-21

- वित्तीय वर्ष 2018-19 की स्वीकृत योजना एवं तत्संबंधी कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा।
- रिक्तियों की संख्या अन्तरिम (Tentative) है। यह संख्या घट-बढ़ सकती है।
- कार्यान्वयन अनुदेश एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के पहले पूर्वाभ्यास हेतु मॉडल आवेदन पत्र विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html> पर से डाउनलोड कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

क्र.	कोटि	ब्रायलर मुर्गी की क्षमता	रिक्ति फार्म (इकाई में)	इकाई लागत (लाख रुपये में)	आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (लाख रु में)		अनुदान		भूमि की आवश्यकता
					स्वलागत	बैंक ऋण	इकाई लागत का प्रतिशत	अधिकतम अनुदान (लाख रुपये में)	
1	सामान्य जाति	3,000	61	9.00	2.50	0.90	30 प्रतिशत	2.70	7000 वर्गफीट
2	अनुसूचित जाति	3,000	34	9.00	1.80	0.90	50 प्रतिशत	4.50	7000 वर्गफीट
3	अनुसूचित जनजाति	3,000	07	9.00	1.80	0.90	50 प्रतिशत	4.50	7000 वर्गफीट

विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना